**जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 04.08.2022**

आज दिनांक 04.08.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

**नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार**

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 254 / 2022 धारा 363 / 366 / 376 भा0द0वि0, 3(2)5 व 3(1)W(2) एससी एसटी एक्ट तथा 5 / 6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता अनिल अग्रहरि पुत्र ब्रम्हानन्द अग्रहरि निवासी सकूरचक थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को शनिचरा बाजार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 02.05.2022 को वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** प्रभारी निरीक्षक महुली श्री कृष्ण देव सिंह, का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 संजीत कुशवाहा, का0 शैलेन्द्र यादव।

**आगामी त्यौहार के दृष्टिगत अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व 59 शीशी देशी शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

आगामी त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के आदेश के क्रम में **थाना महुली पुलिस द्वारा** संदिग्ध वाहन / वस्तु / व्यक्तियों के चेकिंग के दौरान 59 शीशी अवैध देशी शराब ( बंटी बबली) के साथ 01 अभियुक्त नाम पता धर्मेंद्र गुप्ता पुत्र स्वर्गीय शिव सहाय गुप्ता निवासी वार्ड नंबर-09 हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 259 / 2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** उ0नि0 श्री दद्दन राय, हे0का0 अशोक सिंह, हे0का0 अनिल यादव, हे0का0 मोहम्मद आरिफ , हे0का0 पप्पू सिंह, का0 सोनू।

**थाना मेहदावलपुलिस द्वारा** 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता सहदेव उर्फ घूरे पुत्र तामेश्वर निवासी गगनईराव थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 201 / 2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** का0 बलरामय यादव मय हमराह।

## सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 01 नफर वारण्टी नाम पता रामयश पुत्र गोली प्रसाद निवासी उरसड़ा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** उ0नि0 श्री राजेश यादव मय हमराह ।

**थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 01 नफर वारण्टी नाम पता बहाल पुत्र गनेश नाई निवासी छिबरा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** उ0नि0 श्री संजय सिंह, का0 भीम कुमार ।

## शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 1493 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल –** पीआरवी 1493 को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत हावपुर भडारी से इवेन्ट संख्या 09400 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्ति ( रामखुश, इसरावती, निवासी भवानी गाडा थाना बखिरा) के घायल होने के संबंध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 02 मिनट में पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ –** आरक्षी रजनीश यादव, आरक्षी प्रदीप कुमार यादव, हो0चा0 महेन्द्र यादव ।

## मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 55 वाहनो से 40,000 रु0 सम्मन वसूल किया गया

आज दिनांक 04.08.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 55 वाहनों से 40,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया ।